eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

विकसित भारत @2047 उभरते हुए प्रतिमान

डॉ. बॉबी यादव[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) कु. मा0 राजकीय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0

Received: 20 Jan 2026, Accepted: 25 Jan 2026, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2026

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में हम 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में शासन तथा प्रशासन के स्तर पर किए गए सुधारों, नवोन्मेष तथा भविष्यगामी प्रयासों की चर्चा करेंगे। अमृतकाल के दौरान भारतीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह, उत्तरदाई तथा विकेन्द्रित करने की ओर अग्रसित हुआ गया तथा इसमें आम जनता के विचारों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सहभागिता सुनिश्चित करने के अधिक से अधिक प्रयास किए जाने लगे। भारत सरकार ने अनेक कदम उठाकर इन प्रयासों को साकार रूप प्रदान किया। ई-ऑफिस, ई-सर्विस, ई-मित्र, ई-फाइल, ई-केईएम, ई-मेल, ई-लीव, ई-संपदा, ई-मार्केटप्लेस (जेम पोर्टल), आई-गोट मिशन कर्मयोगी आदि के माध्यम से संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे को सूचना और प्रौद्योगिकी के सहयोग से अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदाई तथा गतिशील बनाया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु - अमृत काल, 'विकसित भारत @2047', 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047', पांच प्रण, नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, जिला सुशासन सूचकांक।

Introduction

विकास एक सतत सनातन प्रक्रिया है जो समय-काल के अनुसार होते रहना अपेक्षित है तथापि यह एक समतल अथवा समान गति से होते रहने वाली प्रक्रिया नहीं है अपितु इसके अनुक्रम में अनेक उतार-चढ़ाव-ठहराव आदि आते रहते हैं एवं यह समय अनुकूल अपने रूप को परिवर्तित भी करता रहता है। इस संदर्भ के अनुरूप 'विकसित भारत' का तात्पर्य भविष्य में ऐसे एक भारतवर्ष की परिकल्पना है जिसमें देश के समस्त नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न हों, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े और उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण हो। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि ने अनेक मापदंड अथवा पैमाने निर्धारित किए हैं जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि।

उपर्युक्त पैमानों के अनुसार देशों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर चार श्रेणियां में विभाजित किया जाता है - निम्न आय अर्थव्यवस्था ($1085 से कम), निम्न-मध्यम आय अर्थव्यवस्था ($1086 से $4255 के बीच), उच्च-मध्यम आय अर्थव्यवस्था ($4256 से $13,205 के बीच) तथा उच्च आय अर्थव्यवस्था ($13,205 से अधिक)। विश्व बैंक को प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय को $2696 आँका गया है, जिसके अनुसार भारत निम्न-मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आता है।[1] अब हमारे देश के नीति-नियंताओं के लिए यह अत्यंत चुनौती पूर्ण कार्य है कि देश की निम्न-मध्यम आय अर्थव्यवस्था को आर्थिक आधार पर ऊपर ले जाकर उच्च-आय अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया जाए जिसके लिए यह आवश्यक है कि देश की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय को लगभग 5 गुणा तक बढ़ाया जाए जो निश्चित तौर पर अत्यंत दुरूह कार्य है।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में भारत को सन 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा तथा अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

और देश के अमृत काल (2022-2047) की रूपरेखा प्रस्तुत की।[2] मोदी जी ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'पांच प्रण' की बात की जिसमें पहला प्रण है- 'बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना', दूसरा प्रण है- 'हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है', तीसरा प्रण है- 'हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए', चौथा प्रण है- 'एकता और एकजुटता' तथा पांचवा प्रण है- 'नागरिकों का कर्तव्य'। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि इस अमृत काल के दौरान हमें एकजुट एवं संकल्पित होकर एक साथ मिलकर काम करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हमारे राष्ट्र को समस्त प्रकार के कार्यों में तथा संसाधनों में आत्मनिर्भर बनना है जो केवल आत्मानुशासन से ही संभव है। उन्होंने अमृतकाल के लिए "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" का नारा दिया तथा इस लक्ष्य की ओर देशवासियों को उत्प्रेरित किया। 2047 तक देश का सकल घरेलू उत्पाद $30 ट्रिलियन तक पहुंच कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखते हुए विकसित भारत की संकल्पना परिपूर्ण हो पाएगी जो वर्तमान में लगभग $4 ट्रिलियन है। तात्पर्य यह है कि सन 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को आगामी 22 वर्षों में लगभग 8 गुणा तक बढ़ाना है। इस लक्ष्य के चार आधार स्तंभ, जिन्हें सर्वाधिक सशक्त बनाना है वे हैं युवा वर्ग, गरीब जनता, महिलाएं और अन्नदाता किसान। 2047 तक स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर संधारणीय तथा समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नवोन्मेषण तथा सुशासन द्वारा देश को विकसित किया जाना है।

18 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान अपने भाषण में देश के अमृत काल के दौरान किए जाने वाले नई पीढ़ी के सुधारों को अंगीकार किया जाने की बात की ताकि शासन और आम जनता के बीच के बढ़ते हुए अंतराल को कम किया जा सके और उन्हें सुशासन की ओर अभिप्रेत किया जा सके, उन्होंने कहा- "अमृत काल की पहली किरणें राष्ट्र को एक नए विश्वास, नए आत्मविश्वास, नए उत्साह, नए सपनों, नए संकल्पों और राष्ट्र की नई शक्ति से आलोकित कर रही हैं। भारतवासियों की उपलब्धियों की चर्चा सर्वत्र और गर्व के साथ हो रही है। यह हमारे 75 वर्षों के संसदीय इतिहास के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। परिणामस्वरूप, आज हमारी उपलब्धियों की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है।"[3] इन नई पीढ़ी के सुधारों से तात्पर्य न केवल देश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधारो से है अपितु व्यापार और वाणिज्य में किए जाने वाले मूलभूत परिवर्तनों एवं सेवा क्षेत्र तथा सुशासन के लिए सरकारी तथा निजी सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले आमूल चूल परिवर्तनों से भी है।

प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के नीति आयोग तथा 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' को सौंपी, जिसने सुशासन के मॉडल को केंद्र में रखते हुए योग्यता तथा सेवा-भावना के आधार पर आगे बढ़ते हुए अनेक प्रशासनिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया जिनमें कार्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर आधारित कार्य-प्रणाली का अधिक से अधिक समावेश करते हुए हमारे प्रशासनिक ढांचे जिसे 'भारत का इस्पाती ढांचा' कहा जाता है उसमें लचीलापन लाते हुए, उसे और अधिक सुदृढ बनाने के प्रयास की ओर अग्रसर हुआ गया। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में ई-ऑफिस, ई-सर्विस, ई-मित्र, ई-फाइल, ई-केईएम, ई-लीव, ई-मार्केटप्लेस (जेम पोर्टल), ई-संपदा, ई-मेल, आई-गोट मिशन कर्मयोगी आदि के माध्यम से संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे को सूचना और प्रौद्योगिकी के सहयोग से अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदाई तथा गतिशील बनाया जा रहा है।

अमृतकाल के आरंभ होने से पहले से ही भारत में ई-शासन के मॉडल के आधार पर व्यापक सुधार किए जाने लग गए थे ताकि नागरिक और सरकार के बीच की दूरी को यथासंभव कम किया जा सके और देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करते हुए लोकतांत्रिक शासन में उनकी जन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके, वह चाहे भारत सरकार की योजनाएं हो अथवा किसी भी राज्य सरकार की। ई-ऑफिस वर्जन 7.0 ने भारत सरकार के तमाम मंत्रालय एवं विभागों आदि में कागज रहित कार्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की जिससे कार्यालयीन कार्य की दक्षता का विकास हुआ। 'वर्ष 2023 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा अनुवीक्षण प्रणाली ने 21 लाख लोक शिकायतों का समाधान किया जबकि वर्ष 2024

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

में मार्च तक 9.58 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।'[4] इस ई-शासन के चार स्तंभ बताए गए हैं जो है जनता, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ये चार स्तंभ सफल ई-शासन के घटक हैं जो नागरिकों और कार्मिकों के परस्पर अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के सफल उपयोग द्वारा वित्तीय और मानव संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने के क्रम में सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संकेंद्रित करते हैं।

सुशासन को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने अनेक पुरस्कार प्रदान करने आरंभ किए जैसे 'नेशनल अवॉर्ड फॉर ई-गवर्नेंस', 'प्राइम मिनिस्टर्स अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' आदि के साथ-साथ प्रशासन के हर क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए तथा सक्षम बनाने के लिए तमाम प्रकार के पुरस्कार प्रशासन के हर क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ-साथ कार्मिक प्रशासन में भी 'मिशन कर्मयोगी, पार्श्विक भर्ती, समय पर प्रोन्नति संबंधी नीतियां, सुशासन के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आदि द्वारा 'भारतीय सुशासन मॉडल' के नए प्रतिमान विकसित किए जा रहे हैं। नए भारत के सशक्त संस्थान 'अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार'[5] की नीतियों पर चलकर देश के नागरिकों की सेवा में कार्यरत हैं।

भारत सरकार ने 2014 में देश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान 'राष्ट्रीय सुशासन केंद्र' (नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस) की स्थापना की जिसका उद्देश्य शासन तथा लोक नीति के प्रत्येक स्तर पर भावी तथा कार्यरत लोक सेवकों को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सुशासन की और प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ-साथ यह केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं, परामर्शी सेवाओं, सेमिनार आदि का आयोजन करके भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान करने की और भी प्रयासरत है। यह केंद्र स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शासन से जुड़े मुद्दों पर विचार करता है। इसका मुख्य कार्य भारत और अन्य विकासशील देशों के सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों को प्रशासन, नीति सुधार, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में मदद करना है। साथ ही, यह एक विचार केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। अपनी स्थापना के बाद से, इस केंद्र ने प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा, जिला और ब्लॉक स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना, पंचायत राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी से सीखने और कार्रवाई के मॉडल, ग्रामीण विकास, सहकारिता और सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक काम किया है। इसके साथ-साथ, यह केंद्र सुशासन, सामाजिक जवाबदेही, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

भारत सरकार प्रशासनिक स्तर पर शासन को और अधिक चुस्त एवं फुर्तीला तथा निर्णय प्रक्रिया में दक्ष बनाने के लिए अनेक नवोन्मेष कर रही है जैसे सरकार ने मंत्रालयों के स्तर पर फाइल चलने के सात-आठ स्तरों को कम करके केवल चार स्तरों तक ही सीमित करने का निर्णय लिया है जिससे फाइल चलने की गति में तेजी आएगी तथा अधिक बेहतर तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही भारत सरकार ने अपने तमाम स्तरों पर विकेन्द्रीकरण का सहारा लेते हुए अनेक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है और उच्च अधिकारियों ने अपनी रोज़मर्रा की अनेक शक्तियाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की है। सरकार ने मंत्रालयों, विभागों, निकायों आदि के अनेक स्तरों पर 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' नामक एकल अनुमति डेस्क की स्थापना भी की है ताकि वे कार्यालय जो आम जनता के साथ सीधे संपर्क में हैं, नागरिकों को लाल फीता शाही और परेशानी से निज़ात दिलाकर बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके, इसके साथ-साथ हाल ही में अनेक कार्यालय में 'ई-ऑफिस वर्जन 7.0' को अंगीकार किया गया है जिससे प्रशासनिक कार्य में तेजी आई है।

सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को न्यूनतम करने तथा स्वच्छता को संस्थागत करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच भारत सरकार ने 'विशेष अभियान 2.0' कार्यान्वित किया। इस अभियान के तहत 4.18 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया गया, 99,706 कार्यालय स्थलों में सफाई अभियान चलाया गया, 29.10 लाख फाइलों की छँटाई की गई, 88.25 लाख वर्ग फिट स्थान को रिक्त किया गया और ₹364.50 करोड का कूड़ा निस्तारण किया गया। इस विशेष अभियान के तहत भारत सरकार के सभी स्तरों यथा मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

दूर-दराज़ स्थित कार्यालयों में भी लगभग एक माह की अवधि तक उपर्युक्त कार्य किए गए और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समाजोपयोगी अभियान में देश भर के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों, नागरिकों और स्वच्छता कर्मियों ने अपना सहयोग दिया। इससे सरकारी कार्यालयों में डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और उसका उपयोग बढ़ा, साथ ही सरकारी कार्यालय स्थलों में दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहन मिला, सरकारी परिसरों में उपयोग-योग्य स्थान में बढ़ोतरी देखी गई और पर्यावरण अनुकूल कार्य पद्धतियां विकसित होने के साथ-साथ कचरा निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया।[6]

'विकसित भारत@2047' की ही तर्ज पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 संकल्प से समृद्धि तक' अभियान[7] आरंभ किया है जिसके तहत सर्वप्रथम वे राज्य के नागरिकों, हितधारकों, विचार केन्द्रों आदि से उत्तर प्रदेश को सन 2047 तक विकसित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों, रणनीतियों, परिवर्तनों आदि पर सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 'यूपीकोप' नामक 'एप' के माध्यम से कानून एवं व्यवस्था संबंधित विषयों का बहुत ही दक्ष तरीके से निवारण किया जाता है। 'जनसुनवाई समाधान' नामक पोर्टल और 'एप' के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, जिलों तथा अन्य सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण का प्रयास अत्यंत सक्षमता से किया जाता है। इसी प्रकार गुजरात राज्य में 'स्वागत' नामक पोर्टल आरंभ किया गया था जिसमें डिजिटल माध्यम से लोक शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जा रहा है और इस पोर्टल को '2010 यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड' भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 'स्पंदन' पोर्टल के माध्यम से जन शिकायत निवारण की ओर आगे बढ़ा जा रहा है जिसमें ग्रामीण, तहसील, डिवीजन, जिला, आदि स्तरों पर लोक शिकायत निवारण किया जाता है।

सुशासन के विकास की गति पर नजर बनाए रखने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 'सुशासन सूचकांक' आरंभ किया जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाते हैं तथा उनकी एक तालिका में क्रमबद्धता सुनिश्चित की जाती है। इस सूचकांक के माध्यम से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन, विविध योजनाओं के क्रियान्वयन आदि के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। इस सूचकांक में 10 सेक्टर और 58 सूचकांक तय किए गए हैं जो मुख्यतः कृषि तथा अनुषंगी क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, लोक अवसंरचना और सुविधाएं, आर्थिक सुशासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्याय तथा लोक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित सुशासन आदि पैमानों पर आधारित है।

जैसा कि हम सबको पता है भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में जिला, लोक प्रशासन की मूल इकाई है और वहीं से नागरिक केंद्रित सुविधाओं और प्रशासन की तमाम दिशाएं और सुविधाएं आम नागरिक तक विस्तारित होती हैं। इन विचारों के दृष्टिगत 'जिला सुशासन सूचकांक' भी आरंभ किया गया है ताकि जिला स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारो को उनके मूलभूत आधार से आरंभ किया जा सके। यह सूचकांक एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के बीच लोक सुविधाओं को यथासंभव बेहतर तरीके से जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। भारत का पहला 'जिला सुशासन सूचकांक' जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आरंभ किया गया जिसका अनावरण भारत के गृहमंत्री ने 2022 में किया। इसमें राज्य के 10 क्षेत्र के 58 सूचकांकों में 116 आंकड़े बिंदु तय किए गए जिनके आधार पर विविध जिलों में सुशासन का मापन करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार 2023 में गुजरात में 'जिला सुशासन सूचकांक' का आरंभ किया गया और तत्पश्चात अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में इस अभियान को आगे बढ़ाया गया।

अंततः हम कह सकते हैं कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ जिला स्तर पर भी तमाम प्रशासनिक, वित्तीय एवं लोक शिकायत निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक जन केंद्रित, सुशासन एवं विकास का मॉडल विकसित हो सके जो आम नागरिकों की रोजमर्रा तथा दीर्घकालिक समस्याओं

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

का समाधान करते हुए देश को सुशासन की नीतियों पर आगे बढ़ाते हुए 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण प्राप्ति कर पाए। इस दिशा में यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि अपने-अपने क्षेत्र में विविध समस्याओं के निवारण की ओर अपने-अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथापि इन्हें दिशा प्रदान कर रहा है भारत सरकार का 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग', जो एक प्रकार से विकसित भारत@2047 का नोडल विभाग है तथा उसी के दिशा निर्देश में भारत सरकार के तमाम मंत्रालय और विभाग तथा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, जिले आदि अपनी-अपनी निश्चित भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि यदि यह लोक शिकायत निवारण और अवसंरचना निर्माण, आर्थिक सुधार आदि नई पीढ़ी के सुधार समुचित रूप से इसी प्रकार चलते रहे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में समस्त विश्व को दिशा प्रदान करने का कार्य करेगा तथा हम सही मायने में 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को प्रतिफलित कर पाएंगे।

संदर्भ-

1. विश्व बैंक द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम आंकड़े-
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=IN

2. श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को दिया गया भाषण-
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-address-to-the-nation-from-ramparts-of-the-red-fort-on-the-occasion-of-76th-independence-day

3. श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान दिया गया भाषण-
https://sansad.in/ls/knowledge-centre/speeches?2

4. Lecture given by V. Srinivas, IAS, Secretary, DARPG, Govt. of India
https://ncgg.org.in/sites/default/files/lectures-document/Prof_MV_Mathur_Lecture_Viksit_Bharat.pdf

5. C. K. Mathew, Surendra Nath Tripathi, C. Sheela Reddy, A. P. Singh (Editors), Viksit Bharat @2047-Governance Transformed, IIAS Public Governance Series (Vol. 7, 2nd ed.), Brussels: IIAS-IISA, 2025, page 20.

6. C. K. Mathew, Surendra Nath Tripathi, C. Sheela Reddy, A. P. Singh (Editors), Viksit Bharat @2047-Governance Transformed, IIAS Public Governance Series (Vol. 7, 2nd ed.), Brussels: IIAS-IISA, 2025, page 51.

7. https://samarthuttarpradesh.up.gov.in